



राजस्थान सरकार
वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक प. 14 (विविध) वित्त/विप्र/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक 29 JUN 2018

आदेश

विषय :- राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु स्थायी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति ।

राष्ट्रीय लोक अदालत, समक्ष उपस्थित रहकर अदालत की कार्यवाही में सक्रिय सहयोग के लिए निम्न अधिकारियों को उनसे सम्बन्धित विभाग के लिए आगामी आदेश तक, स्थायी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है-

क्र.स	विभाग का नाम	अधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र/ न्यायालय	पता
1.	आबकारी विभाग	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	वित्त भवन, जयपुर
		अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	आबकारी जोन, पावटा, जोधपुर
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर अधिकारी विधि (द्वितीय) मुख्यालय	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	आयुक्तालय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
		वाणिज्यिक कर अधिकारी, (याचिकारें) जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (याचिकारें) कर भवन, जोधपुर
3.	पंजीयन एवं मुद्राक विभाग	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, जयपुर
		उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	पंजीयन एवं मुद्राक, विभाग, जोधपुर
4.	राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग	संयुक्त निदेशक, (विधि) मुख्यालय	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर
		संयुक्त निदेशक, जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जोधपुर

5	पेंशन विभाग	संयुक्त निदेशक (विधि)	राजस्थान उच्च न्यायालय ,जयपुर	निदेशालय, पेंशन जयपुर
		अतिरिक्त निदेशक, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर	पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय , जोधपुर
6.	पेंशन (आरपीएमएफ) विभाग	उप निदेशक, मुख्यालय	राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर	निदेशक, पेंशन(आरपीएमएफ) जयपुर
		कोषाधिकारी, शहर जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	कोष कार्यालय (शहर) जोधपुर
7.	कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	संयुक्त निदेशक, विधि एवं जांच, मुख्यालय जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर	निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
		कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	कोष कार्यालय (शहर) जोधपुर
8.	साधारण बीमा निधि	सहायक निदेशक(विधि)	राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर	डी ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन जयपुर
		संयुक्त निदेशक, जोधपुर।	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	रा० बीमा एवं प्रा० नि० विभाग, हाईकोर्ट परिसर, जोधपुर
9.	राज० राज्य बेवेरेज निगम लि०	महाप्रबन्धक, वित्त एवं प्रशासन	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर	पहली मंजिल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर
10.	गंगानगर शुगर मिल्स	उप प्रबन्धक, (प्रशासन)	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर	चौथी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
11.	निरीक्षण विभाग	उप निदेशक, प्रशासन	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर	ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर
12.	स्था० निधि एवं अंकेक्षण विभाग	उप निदेशक, प्रशासन	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर	वित्त भवन, जयपुर

नोट:-

1. विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर न्यायालय प्रकरणों के कार्य सम्पादन से सम्बन्धित प्रभारी (अधिकारी) पूरे विभाग के न्यायालय प्रकरण, जो लोक अदालत में समझौते हेतु चिन्हित होंगे, की मॉनिटरिंग करेंगे।
2. जिला मुख्यालय एवं जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के नोडल अधिकारी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष इस संदर्भ में अलग से निर्देश प्रसारित करेंगे।

अतः सभी सम्बन्धित स्थायी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि लोक अदालत के सम्बन्ध में समय-समय पर विधि विभाग द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालना करें एवं समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत के समक्ष राजीनामा योग्य न्यायिक प्रकरणों में अपने प्रशासनिक विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट एवं सम्पादित कार्यवाहियों से विधि विभाग एवं वित्त विभाग को अवगत करवायें।

सक्षम स्तर से अनुमोदन अनुसार प्रसारित।



(हरि मोहन शर्मा)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज० जयपुर/आयुक्त, आबकारी विभाग, राज० उदयपुर/आयुक्त, राज्य बीमाए एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/पेंशन विभाग/निरीक्षण विभाग/स्था० निधि एवं अंकेक्षण विभाग/अति० निदेशक, सामान्य बीमा विभाग, जयपुर।
5. महाप्रबन्धक, गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर/महाप्रबन्धक, आरबीसीएल, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, आरपीएमएफ, जयपुर।
7. सम्बन्धित नोडल, अधिकारी।
8. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।



वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी